



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 29, 2014/ज्येष्ठ 8, 1936

No. 130]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 29, 2014/JYAISTHA 8, 1936

जल संसाधन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 2014

फा. सं. 15/2/2014-ई. IV.—आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम 6) की धारा 84 की उप-धारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 02 जून, 2014 से गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्य के पर्यावरण के लिए शीर्ष परिषद् का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (क) जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
- (ख) आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री
- (ग) तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री

—अध्यक्ष

—सदस्य

—सदस्य

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

ORDER

New Delhi, the 29th May, 2014

F. No. 15/2/2014-Estt. IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 84 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (Act 6 of 2014), the Central Government hereby constitutes Apex Council consisting of—

- (a) Minister of Water Resources, Government of India —Chairperson;
- (b) Chief Minister of State of Andhra Pradesh —Member;
- (c) Chief Minister of State of Telangana —Member

for the supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board with effect from 2nd June, 2014.

URVILLA KHATI, Jt. Secy.